

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 682 /2023 दि०:लखनऊ:दि०:मई 26, 2023

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के आदेश संख्या-563/2023 दिनांक 24.04.2023 द्वारा पीठ-1 व 2 इलाहाबाद में लम्बित युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु इलाहाबाद में दिनांक 29.05.2023 से 31.05.2023 तक सदस्य पीठ-1, इलाहाबाद एवं सदस्य पीठ-2, इलाहाबाद की युगल पीठ गठित की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-355/2023 दिनांक 25.05.2023 द्वारा न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में दिनांक 30.05.2023 से 03.06.2023 तक 05 दिवसीय न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें श्री राजीव रंजन, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, इलाहाबाद को भी नामित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयोजित न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री राजीव रंजन, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, इलाहाबाद को प्रशिक्षण में नामित किये के कारण पूर्व निर्गत आदेश संख्या-563/2023 दिनांक 24.04.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए इलाहाबाद में दिनांक 29.05.2023 से 31.05.2023 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

मुख्यालय के आदेश संख्या-563/2023 दिनांक 24.04.2023 की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/26.05.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 682 /2023. तददिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, इलाहाबाद।
 - 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, इलाहाबाद।
 - 3- वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर), मुख्यालय।
 - 4- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।